



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: registrar@shekhauni.ac.in


क्रमांक- 32127

दिनांक:- 1-6-2026

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2026 जयपुर, दिनांक 22 मई, 2026 के **विभिन्न संसाधनों का कुशन प्रबंधन एवं सार्वजनिक व्यय में वित्तीय अनुशासन** हेतु जारी परिपत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं की विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी/कार्मिक पूर्ण रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में जारी अध्ययन-अध्यापन तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त सभी महाविद्यालय उक्त परिपत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: संदर्भित वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र



कुलसचिव
प.दी.उ.शे.वि., सीकर

क्रमांक- 32128

दिनांक:- 1-6-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है-

1. निजी सचिव, कुलगुरु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. समस्त अधिकारी/कार्मिक।
4. प्राचार्य/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
5. लेखा शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव
प.दी.उ.शे.वि., सीकर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2026

जयपुर, दिनांक : 22 मई, 2026

परिपत्र

विषय : संसाधनों का कुशल प्रबंधन एवं सार्वजनिक व्यय में वित्तीय अनुशासन।

वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन एवं सार्वजनिक व्यय में अनुशासन सुनिश्चित करने के क्रम में जारी पूर्व निर्देशों की निरंतरता में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राजकीय वाहनों का उपयोग एवं यात्राएं -

- (i) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित कर दी गई है। समस्त माननीय मंत्रीगण/समस्त निगम/ आयोग इत्यादि के पदाधिकारियों, जिन्हें कारकेड अनुमत है, वे भी अपने कारकेड में केवल अत्यावश्यक न्यूनतम वाहनों का ही उपयोग करेंगे।
- (ii) समस्त पेट्रोल/डीजल राजकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। प्रथम चरण में वे अधिकारी जिनका सामान्य कार्यकाज शहर के भीतर ही रहता है उनके लिए क्रय किये जाने वाले नवीन वाहन ई-व्हीकल ही होंगे।
- (iii) संविदा वाहनों में भी चरणबद्ध रूप से ई-व्हीकल के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (iv) प्रदेश में ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु संबंधित विभाग समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगे एवं वर्तमान में सभी लंबित प्रस्तावों को नियमानुसार तत्काल अनुमोदित किया जायेगा।
- (v) एक ही गंतव्य की ओर जाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी आदि अपने शासकीय/ संविदा/ निजी वाहनों में कार पूलिंग (Car Pooling) को प्राथमिकता प्रदान करेंगे।
- (vi) राजकीय व्यय से विदेश यात्रा पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

2. राजकीय कार्यक्रमों एवं बैठकों का आयोजन –

- (i) राज्य सरकार के विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों आदि द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों, समारोहों आदि हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.04.2026 की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करते हुए शासकीय आयोजन राजकीय भवनों में किये जावें।
- (ii) बैठकों का आयोजन यथासंभव विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जावे।

3. डिजिटल कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण आदि –

- (i) विभिन्न कार्यालयों के मध्य ई-ऑफिस, ई-फाईल का उपयोग सुनिश्चित किया जावे। भौतिक पत्राचार के स्थान पर राज-काज पोर्टल के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान की जावे।
- (ii) भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्थान पर यथासंभव ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किये जावें। प्रशिक्षण हेतु iGOT कर्मयोगी पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जाये।

4. योजनाओं का क्रियान्वयन –

- (i) ऊर्जा विभाग द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत उपयोग हेतु पी.एम. सूर्यघर योजना के अन्तर्गत घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता प्रदान की जावे।
- (ii) कृषि विभाग द्वारा Natural organic and sustainable agriculture को प्रोत्साहन, Agri-Stack के पंजीयन को प्रोत्साहन, गैर कृषि कार्यों हेतु यूरिया के उपयोग को न्यूनतम करने, उर्वरकों के उपयोग को औचित्यपूर्ण करने आदि कार्यों हेतु विशेष अभियान शुरू किया जावे।


5. अन्य बिन्दु –

- (i) राजकीय भवनों में विद्युत उपभोग हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित की जावे।
- (ii) कार्यालयों में ऊर्जा की बचत हेतु कार्यालय समय के दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग मितव्ययता से किया जावे एवं कार्यालय समय के पश्चात विद्युत उपकरणों को बंद किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

6. परिपत्र की प्रभावशीलता एवं क्षेत्राधिकार –

- (i) व्यय नियंत्रण हेतु उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से अनुपालना के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

- (ii) उपर्युक्त दिशा-निर्देश राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए स्वायत्तशासी संस्थाओं/राजकीय उपक्रमों, विश्वविद्यालयों आदि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ संस्था प्रधान जिम्मेवार होंगे।
- (iii) अति आवश्यक प्रकरणों में विभागों से पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रतिबन्धों में शिथिलन दिया जा सकेगा।



(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय (वित्त)।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
10. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[05/2026]